सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 1800/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. कौशल्या पुत्री रामदेव बैरवा
2. कैकयी पुत्री रामदेव बैरवा
3. ग्यारसी देवी पत्नि रामदेव बैरवा

निवासीगण फारकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 23.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प भराई में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वाद ग्रस्त भूमि वाके ग्राम फारकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता नम्बर 49 में वर्णित भूमि आराजी खसरान नम्बर कुल किता 4 कुल रकबा 1.67 है. भूमि जो कि नामान्तकरण संख्या 915 दिनांक 05.12.2016 से जरिये विरासत वादीगण के नाम सह खातेदार दर्ज हुई। वादी के स्वयं की खातेदार की आराजी है। वादीगण महिला होने के कारण पडोसी खातेदार द्वारा वादीगण की आराजी को दबाकर मौके पर रकबा कम कर दिया है एवं वादीगण द्वारा अपने सम्पूर्ण रकबे पर काश्त करने पर पडोसी खातेदार द्वारा झगडा करने के कारण यह वाद प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। आज दिनांक 23.05.2018 को न्याय आपके द्वार केम्प भराई में प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार का जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम फारकिया के जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता नम्बर 49 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 52 रकबा 1.14 खसरा नम्बर 53 रकबा 0.28 है., खसरा नम्बर 54 रकबा 0.20 है. खसरा नम्बर 1196 रकबा 0.05 है कुल किता 4 कुल रकबा 1.67 है. पर वादीगण कौशल्या, कैकयी पुत्रियां रामदेव हिस्सा 5/6, ग्यारसी पत्नि रामदेव हिस्सा 1/6 कौम बैरवा सा.देह खातेदार दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त आराजी वादीगण की स्वयं की खातेदारी होने से पत्थरगढी किया जाना उचित है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के खातेदारी में दर्ज होने से वाद पत्र का संतुलन वादीगण के पक्ष में होने से वादीगण का दावा प्रेमापेशाई होना पाया जाता है।

अतः वादीगण का दावा वाके ग्राम ग्राम फारकिया के जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता नम्बर 49 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 52 रकबा 1.14 खसरा नम्बर 53 रकबा 0.28 है., खसरा नम्बर 54 रकबा 0.20 है. खसरा नम्बर 1196 रकबा 0.05 है कुल किता 4 कुल रकबा 1.67 है. पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी की नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्थरगढी कराकर मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 23.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व निर्णय केम्प कोर्ट भराई में मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी